भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-88

उत्तर देने की तारीख-20/07/2026

यूजीसी शोध अध्येतावृत्तियों की अपर्याप्त उपलब्धता

†88. डॉ. शशि थरूर:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान, यूजीसी-नेट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की वर्ष-वार संख्या, प्रदान की गई वर्षवार जूनियर शोध अध्येतावृत्तियों (जेआरएफ) की संख्या और जेआरएफ प्राप्त करने वाले उत्तीर्ण उम्मीदवारों का अनुपात क्या है;

(ख) क्या सरकार ने प्रतिवर्ष यूजीसी-नेट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या और प्रदान की जाने वाली जेआरएफ की संख्या के बीच बढ़ते अंतर पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का शोध के इच्छुक उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या को समायोजित करने के लिए जेआरएफ की संख्या में वृद्धि करने या मौजूदा प्रतिशत-आधारित सीमा सहित पात्रता मानदंडों में संशोधन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि यूजीसी गैर-नेट अध्येतावृत्ति की राशि वर्ष 2006 से 8,000/-रुपये प्रति माह पर ही यथावत बनी हुई है और यदि हां, तो सरकार द्वारा अध्येतावृत्ति में संशोधन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है और इस प्रकार के संशोधन की संभावित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ .सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) के आधार पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) प्रदान करता है। नेट में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों में से छह प्रतिशत सहायक प्रोफेसर के लिए योग्य होते हैं और इन योग्य उम्मीदवारों में से यूजीसी प्रति वर्ष 11,750 स्लॉट के लिए जेआरएफ प्रदान करता है। इसके अलावा, पीएचडी करने वाले विद्वानों

की सहायता करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों द्वारा फेलोशिप भी प्रदान की जाती है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों और एकल बालिका के लिए विशेष फेलोशिप प्रदान की जाती हैं। पीएचडी करने वाले विद्वान, विश्वविद्यालयों को विभिन्न फंडिंग एजेंसियों द्वारा स्वीकृत शोध परियोजनाओं में शामिल होने और अपने शोध की सहायता के लिए निधि प्राप्त करने के पात्र हैं, जिससे उन्हें पीएचडी की उपाधि मिलती है।

इसके अलावा, कुछ छात्रों को विश्वविद्यालयों द्वारा बिना किसी भी स्रोत से वित्तीय सहायता के पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है। इस दायरे को बढ़ाने के लिए, यूजीसी ने गैरनेट - फेलोशिप के रूप में वजीफा प्रदान करके ऐसे छात्रों को आंशिक रूप से सहायता करने का निर्णय लिया। ये गैरनेट फेलोशिप देश भर के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों- में नामांकित एमपीएचडी छात्रों/.फिल., विशेष रूप से देश के दूरदराज के क्षेत्रों और उत्तरपूर्वी क्षेत्रों में स्थित - विश्वविद्यालयों के छात्रों को लाभान्वित कर रही हैं।
